न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—189 / 2025 / 223 आर.टी.एक्ट (2025 / 189)

1. रामलाल पुत्र हुकमा
2. लक्ष्मणलाल पुत्र हुकमा
3. सुनील कुमार पुत्र हुकमा
4. गुमानी पुत्री हुकमा
5. मानी पुत्री हुकमा
6. लाली पुत्री हुकमा

   समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम चैनपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. सोहनी पत्नी पांचूलाल
2. कालूराम पुत्र पांचूलाल
3. काली पुत्री पांचूलाल
4. बलवीर उर्फ सांवर पुत्र पांचूलाल
5. सुरेश उर्फ भाणू पुत्र पांचूलाल

   समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम चैनपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
6. रामदेव पुत्र पन्ना (पांची पुत्री पन्ना का पुत्र) जाति भांबी निवासी ग्राम मोहमी तहसील व जिला अजमेर।
7. हुली पुत्री पन्ना (पांची पुत्री पन्ना का पुत्र) जाति भांबी निवासी ग्राम जाटिया तहसील व जिला अजमेर।
8. गोपी पुत्र पन्ना जाति भांबी निवासी ग्राम चैनपुरा हाल निवासी राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के पीछे गणेशगंज कोटे की तलाई कोटा—अजमेर रोड सरवाड जिला अजमेर।
9. प्रेमदेवी पत्नी मांगीलाल जाति भांबी निवासी ग्राम चैनपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
10. लालीदेवी पत्नी हरिराम
11. भागचंद पुत्र हरिराम

    समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम चैनपुरा हाल निवासी शिव कॉलोनी मसूदा रोडा ब्यावर तहसील व जिला ब्यावर।
12. पूरी पुत्री किशना पत्नी लालाराम जाति भांबी निवासी ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर।
13. टेमी पुत्री किशना पत्नी हनुमान जाति भांबी निवासी कालेसरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
14. सुवालाल पुत्र पूसालाल
15. रूपचंद पुत्र पूसालाल
16. रमेश पुत्र पूसालाल
17. सत्यनारायण पुत्र पूसालाल
18. मीरा पुत्री पूसालाल
19. रेखा पुत्री पूसालाल
20. शीला पुत्री पूसालाल

    समस्त जाति भांबी निवासी श्री नामदेव विद्या मंदिर सैकेण्डरी स्कूल के पास पुराना बडगांव पोस्ट माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर।
21. कमला पुत्री जीवण पत्नी रामचन्द्र जाति भांबी निवासी ग्राम मायापुर पोस्ट राजगढ तहसील व जिला अजमेर।
22. पार्वती पुत्री रामचन्द्र
23. पूर्णिमा पुत्री रामचन्द्र

समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम मायापुर पोस्ट राजगढ तहसील व जिला अजमेर।
24. दी मैनेजर बैंक ऑफ बडौदा शाखा राजगढ तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
25. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2025 राजस्व वाद संख्या 81/2021

उपस्थितः–

1. श्री उमेश कुमार व अमन झंवर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सूरज मेहरा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 4, 5, 10 से 12, 14, 21
3. श्री नवीन गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 8
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 25
5. रेस्पोडेंट संख्या 3, 6, 7, 9, 13, 15 से 20, 22 से 24 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–18.12.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 81/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट्स ने एक राजस्व वादपत्र अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने उक्त दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। तदोपरांत प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 व 10 से 12 को समुचित अवसर देने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण उनका जवाब बंद कर दिया गया तथा शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में बाद विधिवत सम्मन/नोटिस तामील होने के उपरांत परीक्षण न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वादीगण/अपीलांट्स का राजस्व वादपत्र दिनांक 28.03.2025 को खारिज कर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 81/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2025 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षों की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 3, 6, 7, 9, 13, 15 से 20, 22 से 24 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड आदेश है जबकि विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड आदेश एक आदेश की पारिभाषा में नहीं आता है। अतः परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश नॉन रिजण्ड एवं नॉन स्पीकिंग आदेश होने से काबिले निरस्त योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने वर्किंग जमाबन्दी में अंकन के आधार पर प्रकरण पर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया है जबकि उक्त वर्किंग जमाबन्दी में हो रहे इन्द्राजात को दुरूस्त करवाने हेतु वादपत्र पेश किया था एवं परीक्षण न्यायालय ने

इस बात पर गौर नहीं किया कि उक्त वर्किंग जमाबंदी में खसरा नम्बर 3009, 3013 जो कि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है लेकिन सेटलमेन्ट विभाग ने उक्त खसरा नम्बर 3009 व 3013 (जो कि पैतृक है) को क्रयशुदा भूमि के साथ में अंकन करते हुए गलत हिस्सा दर्ज कर दिया गया था जिसको अपीलांट्स ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से साबित कर दिया था फिर भी परीक्षण न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में भारी गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है जो काबिल निरस्तनीय है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते समय इस बात पर गौर नहीं किया कि जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 एवं विक्रय पत्र दिनांक 15.05.1961 के आधार पर तस्दीक नामांतरकरण में अंकित इन्द्राजात अनुसार विवादित भूमि को हरजी व किशना व दूदा व हुकमा व पन्ना व बिदा व मन्ना के नाम हो रहे इन्द्राज से यह स्पष्ट था कि उक्त विवादित आराजी को उपरोक्त व्यक्तियों ने बराबर हिस्से अनुसार क्रय किया है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने जिसको पैतृक आराजी के साथ सम्मिलित करते हुए पैतृक आराजी अनुसार गलत हिस्से का इन्द्राज कर दिया है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक था लेकिन परीक्षण न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में भारी गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है जो काबिल निरस्तनीय हैं। परीक्षण न्यायालय ने बिना विधिक प्रावधानों का अनुसरण किये एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित किये तथा प्रस्तुत दस्तावेजों को गलत रूप से अवलोकन करते हुए और बिना तनकीयात कायम किये सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो कतई विधिसम्मत है एवं अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के प्रतिकूल जाकर विधिविरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित किया है जो कतई न्यायसंगत नहीं है जबकि विवादित आराजीयात अपीलांट्स के पूर्वज की क्रयशुदा भूमि है जिस पर अपीलांट्स के पूर्वज तत्पश्चात् अपीलांट्स काबिज होकर काश्त चले आ रहे है जो कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों से पूर्णतया सिद्ध था फिर भी उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों को परीक्षण न्यायालय ने नजर अन्दाज करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है जो काबिल निरस्त योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 81/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कहे गए कथन सारहीन है। अपीलांट द्वारा सजरा पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में सत्यापित प्रति प्रस्तुत नहीं की विक्रय पत्र की इसलिए प्रदर्श अंकित नहीं किए गए। प्रतिवादीगण का जवाब बंद होने के कारण तनकी नहीं बनाई गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा उनके अभिभाषक की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से उनका जवाब बंद किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते

हुए वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 28.03.2025 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2025 को प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट का जवाब बंद किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई जवाब बंद की कार्यवाही से रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे वादी द्वारा कहे गए कथनों का खण्डन नहीं हो सका तथा खण्डन नहीं होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जा सकी जिससे अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाहे गए अनुतोष बाबत प्रकरण में तनकीवार विस्तृत निर्णय नहीं किया गया। चूंकि अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्किंग जमाबंदी में इंद्राज दुरूस्त किए जाने बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया था।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर गौर नहीं किया गया कि उक्त वर्किंग जमाबंदी में खसरा नम्बर 3009, 3013 जो कि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है लेकिन सेटलमेंट विभाग ने उक्त खसरा नंबर 3009 व 3013 को क्रयशुदा भूमि के साथ में अंकन करते हुए हिस्सा दर्ज कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रावधानों का अनुसरण किए एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित किए तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का सही रूप से अवलोकन किए तथा प्रकरण में बिना तनकीयात कायम किए प्रकरण में कार्यवाही करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम कर उक्त तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण कर प्रदर्श अंकित कर तथा उक्त तनकीयों का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर प्रकरण में नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड आदेश पारित किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विधिक त्रुटि कारित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 81/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2025 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.01.2026 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर